


फर्द डिकी मुकदमात इबादाई  
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी



निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला  
कोटा

प्रकरण संख्या : 178/2011

तारीख दायरा 28.01.2011

उनवान

श्रीमती मांगीबाई पुत्री श्री घांसी पत्नी श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता हाल  
वासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा। - वादीनी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री मन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद हाल  
निवासी म.नं. 1422, वार्ड नं. 2, गली नं. 3, रोडवेज डिपो के पास, कुन्हाडी कोटा।
2. श्रीमती लदूरबाई पुत्री श्री मन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद  
हाल निवासी म.नं. 1422, वार्ड नं. 2, गली नं. 3, रोडवेज डिपो के पास कुन्हाडी कोटा।
3. छीतरलाल पुत्र श्री लदूरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
4. दुर्गालाल पुत्र श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
5. राजेन्द्र पुत्र श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
6. रामकन्या पुत्री श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
7. रामनाथी बेवा श्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद।
8. अमरलाल पुत्र श्री घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डीता तह0 सांगोद।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

स्थित :-

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीनी)

दिनांक :- 28.01.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

प्रमाणित प्रतिनिधि  
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

8

उपखण्ड नजिस्ट्रेट  
सांगोद (कोटा)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दिनेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रुबरु श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम खोबदा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 59 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नंबर 62 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नंबर 63 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 3.30 हैक्टर आराजी में निम्न प्रकार से पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है -

अ. हिस्सा व कब्जा बहक वादी मांगीबाई :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	60	0.01 गै.मु.बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन
	61	0.85 में से 0.24 उत्तरी-पश्चिमी
	62	1.59में से 0.75 उत्तरी
	63	0.10

कुल किता 4 की कुल 1.10 हैक्टर

ब. हिस्सा व कब्जा बहक प्रतिवादी कं. 1, 2 रामप्रसाद, लटूरबाई :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	61	0.85में से 0.26 दक्षिणी-पश्चिमी
	62	1.59में से 0.84 दक्षिणी

कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर

स. हिस्सा व कब्जा बहक प्रति.कं. 3 हिस्सा 1/3, प्रति.कं. 4 ता 7 हिस्सा 1/3 एवं प्रति.कं. 8 हिस्सा 1/3 :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
खोबदा	59	0.75 हैक्टर
	61	0.85 में से 0.35 पूर्वी

कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीनी के हिस्से व कब्जे की उपरोक्त आराजी व प्रतिवादी कं. 1, 2 के हिस्से व कब्जे की उपरोक्त आराजी के मध्य की मेड पर होकर प्रतिवादी कं. 3 लगायत 9 अपने हिस्से व कब्जे की आराजी तक आवागमन कर सकेंगे जिसमें वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करेंगे। चूंकि मूलवाद के साथ प्रस्तुत टी.आई.कमांक 86/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 की अनुपालना में कार्यालय तहसीलदार सांगोद में रिसीवर/कैश सिक्थोरिटी की राशि जमा है। लिहाजा तहसीलदार सांगोद

को आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कार्यालय सांगोद में उक्त आराजी की जमाशुदा रिसीवर/कैश  
सिक्योरिटी की राशि की 1/3 हिस्सा राशि वादीनी को, 1/3 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 1, 2 को  
एवं 1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 3 को, 1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 4 लगायत 7 को एवं  
1/9 हिस्सा राशि प्रतिवादी कं. 8 को भुगतान की जावे। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक-2022/267

दिनांक- 7/3/22

तहसीलदार,  
तहसील सांगोद।

विषय- इजराय संख्या 18/2022 उनवान मांगी बड़ि बनाम  
रामपुहाद मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० 178/2011 उनवान मांगी बड़ि  
बनाम रामपुहाद के न्यायालय में दिनांक 28/1/2022 को  
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति  
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से  
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 25/4/2022 से पूर्व पालना करना  
सुनिश्चित करें।

सलंगन-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

अजना सुहरावत  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- कोटा  
उपखण्ड अधिकारी

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

18/22

क्रमांक / LR / 2023 / 779

दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं० 178/2011

उनवान मांगीदाई / राजपुलाइ में जारी डिक्री दिनांक.

28/01/2011 की पालना में ग्राम खोवदा में नामान्तरकरण सं. 212

दिनांक 26/5/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा

# जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 73

खाता संख्या पुराना :- 59

नाम :- खोवदा  
ब्ला :- मंडीता  
ति. :- कुन्दनपुर  
- साँगोद  
कोटा

का नाम:-

बाई पति विरधीलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल नि. कुलाडियाकलाँ खातेदार,

क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
0.2400	चाही तृतीय	0.2400 5.28		स्वीकृत नामांतरकरण : 212 26/05/2022 न्याया. आदेश	
0.7500	चाही तृतीय	0.7500 16.50			
0.0100	गे.मु.बोरिंग	0.0100			
0.1000	चाही तृतीय	0.1000 2.20			
र-4 1.1000		1.1000 23.9800			

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।